

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 28ख का संशोधन। 63. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 28ख में,— 1962 का 52

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 5

“(1क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति से किसी रीति में किसी माल पर निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक कोई रकम संगृहीत या संदत्त की है या ऐसे किसी माल पर सीमाशुल्क के रूप में कोई रकम संगृहीत की है जो पूर्णतया शुल्क से छूट प्राप्त है या शून्य दर पर प्रभार्य है, इस प्रकार संगृहीत रकम का, केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में तुरंत संदाय करेगा।”;

(ii) उपधारा (2) में “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 10

(iii) उपधारा (4) में,—

(क) “उपधारा (1) या उपधारा (3)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (1) और उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 15

धारा 108 का संशोधन। 64. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) में, “केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त किए गए” शब्दों का लोप किया जाएगा और 13 जुलाई, 2006 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

धारा 117 का संशोधन। 65. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 117 में, “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 129क का संशोधन। 66. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— 20

“परंतु जहां सीमाशुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और सीमाशुल्क के अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा दिया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो समुचित अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त” से वह सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है जिसकी उस विषय में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता है ।’। 25

धारा 129घ का संशोधन। 67. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय, सीमाशुल्क आयुक्त के विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, वहां ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी जिन पर उनकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिए गए विनिश्चय या आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिया गया विनिश्चय या आदेश वैध या उचित नहीं है तो वह आदेश द्वारा ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों के अवधारण के लिए अपील अधिकरण को आवेदन करे, जो उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।” ; 30

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 35

“(3) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।”।

नई धारा 129ड के अंतःस्थापन । 68. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ड के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“129ड. जहां धारा 129ड के पहले परंतुक के अधीन आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है और ऐसी रकम का प्रतिदाय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है तो, जब तक अपील प्राधिकारी के आदेश के प्रवर्तन पर किसी उच्चतर न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक न लगा दी गई हो, अपीलार्थी को अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उस रकम के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 27क में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदत्त किया जाएगा ।”। 40

धारा 141 का संशोधन। 69. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 45

“(2) आयातित या निर्यात माल को किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्राप्त, भंडारित, परिवर्तित, प्रेषित या अन्यथा संभाला जाएगा और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व वे होंगे जो विहित किए जाएं ।”।

70. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 158 का संशोधन।

“(ii) यह उपबंध कर सकता है कि कोई व्यक्ति, जो किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है या किसी नियम या विनियम में किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था, ऐसी शास्ति का, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।”।

- 5 71. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 277(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003 में, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, भारत सरकार 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० 7, जो यह उपबंध करती है “कि आयातकर्ता उक्त प्रमाणपत्र में विकलित की गई रकम के लिए उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहणीय अतिरिक्त शुल्क की वापसी या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार होगा”, विधिमाम्य रूप से सभी प्रयोजनों के लिए 4 जून, 2005 से ही सभी तात्त्विक समयों पर प्रभावी हुई और सदैव प्रभावी हुई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप किसी ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो उस दशा में इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती।

सीमाशुल्क टैरिफ

72. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,—

1975 के अधिनियम
51 का संशोधन।

- 15 (i) पहली अनुसूची का संशोधन, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ;
(ii) दूसरी अनुसूची का संशोधन, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।